

24/02/26

पत्राण पेश हुई। बकुल उपर। वादी वकील द्वारा प्रति सं. 7 नं. 51 की तन्वी हेतु मौका याहा गया। पूर्व में अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। अन्य अवसर दिया जाना उचित नहीं है। अतः पत्राण अदम पेशी में 09/05 के अहल इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्राण फौसल शुमार लेकर नम्बर से कम की जाकर दायित्व दफतर ले।